13/8/25

पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 28/8/25 को पेश हो।

रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

28/8/25

पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 25/9/25 को पेश हो।

रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

25/9/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं राजपेशकार उप०। पत्रावली वास्ते आमदा अभिलेख दिनांक 7/10/25 को पेश हो।

7/10/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार उपस्थित। जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में समय दिया गया। पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।

16/10/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक उभयपक्षकारान उप०। बहस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली फैसला मुताबिक पूर्ण कर बाद तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

प्रकरण संख्या :— 97 / 24
उनवान :— कन्हैया बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—16.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 97 / 24
दायर दिनाँक :— 05.07.2024
निर्णय दिनाँकः— 16.10.2025
उनवान :— कन्हैया

बनाम

सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री ममता लोधा, अधिवक्ता प्रार्थी

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी कन्हैया पुत्र बल्ला जाति चमार निवासी टोडरा तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम टोडरा तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 152 (पुराना 111) की कुल किता 08 की 1.5135 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है।

वाद में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम कन्हीराम पुत्र बल्ला दर्ज हो रहा है। जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम ''कन्हैया'' पुत्र बल्ला है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम टोडरा तह0 मनोहरथाना की उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम '' कन्हीराम पुत्र बल्ला '' के स्थान पर '' कन्हैया पुत्र बल्ला '' संशोधित किया जाए और राजस्व

अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना—पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/सरकार पेरोकार को तलब किया गया। मुताबिक जवाब अप्रार्थी/सरकार पेरोकार, उक्त वाद में प्रार्थी का नाम " कन्हीराम पुत्र बल्ला से कन्हैया पुत्र बल्ला " किये जाने में कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम टोडरा तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 152 (पुराना 111) की कुल किता 08 की 1.5135 हेक्टेयर आराजी में प्रार्थी का नाम " **कन्हीराम से कन्हैया** " दर्ज किया जावें एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल—दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,
मनोहरथाना